न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 33/2013 दायर दिनांक: 03.04.2013

उनवान

1. रामेश्वर पि. चुन्नीलाल जाति गुर्जर नि. बडाय तहसील झालरापाटन
2. आत्माराम पि. चुन्नीलाल जाति गुर्जर नि. बडाय तहसील झालरापाटन

– वादीगण

बनाम

1. भेरूलाल पि. भागचन्द जाति गुर्जर नि. कुटकी तहसील रायपुर
2. रामीबाई पत्नी मांगीलाल गुर्जर नि. बौरबन्द तहसील रायपुर
3. प्रतापबाई पत्नी बरदीचंद गुर्जर नि. नयागांव रीछवा तहसील झालरापाटन
4. धापूबाई आ० भागचन्द गुजर नि. कुटकी तहसील रायपुर
5. झमकूबाई पत्नी लक्ष्मण जाति गुर्जर नि. करणेश्वर महादेव
6. जमनाबाई बेवा भागचंद जाति गुर्जर नि. कुटकी तहसील रायपुर
7. कन्हीराम पि. सालगराम जाति गुर्जर नि. कुटकी तहसील रायपुर
8. कंवरलाल पि. सालगराम जाति गुर्जर नि. कुटकी तहसील रायपुर
9. कस्तुरीबाई पि. सालगराम जाति गुर्जर नि. कुटकी तहसील रायपुर
10. महताबबाई बेवा सालगराम जाति गुर्जर नि. कुटकी तहसील रायपुर
11. ग्राम पंचायत सोयला जर्ये सरपंच सोयला तहसील रायपुर
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक–

वकील वादीगण – श्री पूरीलाल राठौर
प्रतिवादी सं. 1 से 11 – एकतरफा
प्रतिवादी सं. 12 – पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 28.08.2025**

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि नकल जमाबन्दी ग्राम कुटकी तहसील पिडावा सम्वत 2069–72 के अन्तर्गत खाता सं. नई 101 पुरानी 89 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 3 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 4 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 7 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 55 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

बिस्वा, खसरा नम्बर 56 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 102 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 104 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 177 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 207 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 208 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 209 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 210 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 211 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 213 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 14 कुल रकबा 30 बीघा 07 बिस्वा लगानी 57 रूपये 54 पैसे है। जिसकी नकल जमाबन्दी संलग्न है। सुविधा की दृष्टि से उक्त आराजी को वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जा रहा है। यह कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के नाम भागचन्द के खाते से आई है। खातेदार भागचंद की मृत्यु होने पर नामान्तकरण संख्या 215 दर्ज हुआ, इस नामान्तकरण पर शजरा बना हुआ है जिसके अनुसार पुत्र के भेरूलाल बताया है तथा पुत्रियों के रूप में रामीबाई, प्रतापबाई, धापूबाई, झमकूबाई, लीलाबाई एवम् जमनाबाई को बताया है तदनुसार वादग्रस्त आराजी पर भागवन्द के स्थान पर उसके उक्त वारिस खातेदार बने। यह कि लीलाबाई खातेदार की मृत्यु होने पर नामान्तरकण स. 295 दर्ज हुआ जिसमें शजरे के अनुसार लीलाबाई के वारिस मैं वादीगण का नाम अंकित किया गया है किन्तु ग्राम पंचायत सोयला द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किया जिसमें उसके वारिसान का नाम दर्ज न कर लीलाबाई के स्थान पर भेरूलाल आ० भागचन्द का नाम दर्ज कर दिया है। यह कि ग्राम पंचायत सोयला द्वारा नामान्तकरण दर्ज करते समय नैसर्गिक वारिसान को उनके हक से बिना किसी न्यायोचित कारण के वंचित किया है जो कानूनन अवैध है तथा वादीगण के अधिकारो एवं हको के विरुद्ध है। कानूनन लीलाबाई के स्थान पर वादीगण अपने नाम दर्ज कराने वादग्रस्त आराजी में से 1/14 भाग के खातेदार टीनेन्ट घोषित होने के पात्र है। साथ ही वादग्रस्त आराजी में अपना खाता तथा लमान अलग दर्ज कराने के पात्र है। यह कि वाद कारण दिनांक 01.01.2013 को उस वक्त उदित हुआ जब वादीगण को पता चला कि वादग्रस्त आराजी पर उनकी माता के स्थान पर उनका नाम दर्ज नहीं है। यह कि वाद अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में तथा उनके श्रवण क्षेत्र में उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण को 1/14 भाग के खातेदार टीनेन्ट घोषित किए जाने की कृपा करे तदनुसार वादीगण का नाम अलग खाता दर्ज कराने तथा अलग लगान दर्ज कराने की कृपा करे। अन्य न्यायोचित सहायता व हर्जा खर्चा जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी वादीगण को दिलाये जाने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 6 की ओर से अभिभाषक श्री नीलकमल त्रिवेदी उपस्थित हुए परन्तु दिनांक 10.10.2024 को प्रतिवादी सं. 1 से 6 व उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 10.10.2024 प्रतिवादी सं. 1 से 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 7 से 11 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 09.05.2013 को प्रतिवादी सं. 7 से 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी सं. 12 का जवाब अवसर बंद किया गया।

3. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम कुटकी के खाता सं. 101 की जमाबंदी सं. 2069—72 की नकल प्रदर्श 1, खाता सं. 20 की जमाबंदी संवत् 2073—76, नामा.सं. 2015 व नामा.सं. 295 दिनांक 06.02.2008 प्रदर्श 2 व प्रदर्श 3 व खाता सं. 83 की जमाबंदी सं. 2061—64 की नकल प्रस्तुत की एवं मौखिक साक्ष्य में आत्माराम पि. चुन्नीलाल, हरीसिंह पि. हीरालाल PW-1 to PW-2 के शपथपत्र/बयान कराये।

4. अभिभाषकगण वादीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कुटकी पटवार हल्का सोयला की वादग्रस्त आराजी तात्कालीन खाता संख्या 67 किता 14 कुल रकबा 30 बीघा 7 बिस्वा भागचंद पिता उदा हिस्सा 1/2 तथा कन्नीराम, कंवरलाल पि. सालगराम, कस्तूरीबाई पुत्री सालगराम व महताब बाई बेवा सालगराम हिस्सा 1/2 के नाम की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड थी। खातेदार भागचंद पिता उदा के फौत होने पर वर्ष 2004 में फोती नामांतरण सं. 215 दर्ज किया गया। नामान्तरण पंजिका में नामान्तरण खोलते

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

समय हल्का पटवारी द्वारा बनाये गये सजरे के अनुसार मृतक खातेदार भागचन्द पिता उदा गुर्जर के वारिसान में 01 पुत्र भेरूलाल, 05 पुत्रीयां रामीबाई, प्रताप बाई, धापूबाई, झामकु बाई व लीला बाई एवं बेवा जमना बाई के पक्ष में नामान्तरण खोला गया था। हल्का पटवारी द्वारा दर्ज उक्त प्रविष्टियों को भू–अभिलेख निरक्षक द्वारा सही पाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा मृतक भागचन्द के स्थान पर 1/7–1/7 हिस्से पर सभी वारिसान का विधिवत नामान्तरण निर्णित किया गया था। उक्त नामान्तरण का राजस्व रिकॉड में भी विधिवत रूप से अमल दरामद कर दिया गया था। इसके बाद सहखातेदार लीला बाई के फोत हो जाने पर उनका फोती नामान्तरण संख्या 295 दिनांक 06.02.2008 दर्ज किया गया था। उक्त नामान्तरण पंजिका के कॉलम सं0 16 में हल्का पटवारी द्वारा अंकन किया गया है कि खातेदारनी लीला बाई का फोत हो जाना पाया गया। फोत हुऐ करीब 1 वर्ष हो चुका है। इनके वारिसान का सजरा पुष्ठ पर अंकित है नामान्तरण प्रस्तुत है। पुष्ठ पर अंकित लीला बाई के सजरे के अनुसार लीला बाई के 02 पुत्र रामेश्वर व आत्माराम वारिसान के रूप में अंकित है। भू–अभिलेख निरिक्षक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 20.12.2007 में उक्त नामान्तरण को सही माना गया। ग्राम पंचायत सोयला द्वारा उक्त नामान्तरण को दिनांक 06.02.2008 को विधिविरूद्ध से निर्णित कर बिना किसी न्यायालय के आदेश व दसतावेज के मृतक लीला बाई के स्थान पर उनके वारिसानों का नाम दर्ज नहीं करके भाई भेरूलाल का नाम दर्ज कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी वैध आधार के लीला बाई के वारिसान के स्थान पर गलत तरिके से भाई भेरूलाल का नाम दर्ज किया गया। अतः ग्राम पंचायत द्वारा विधिविरूद्ध रूप से दर्ज नामान्तरण सं0 295 को अवैध व प्रभावशुन्य करते हुए मृतक लीला बाई के हिस्से पर इनके वारिसान वादीगण को खातेदार कृषक घौषित किया जावे और वादीगण के हिस्से का खाता विभाजन कर अच्छी मे अच्छी व बुरी मे से बुरी के आधार पर पृथक दर्ज किया जावे।

5. अभिभाषक वादीगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा पेश ग्राम कुडका की जमाबंदी सं0 2061–64 के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला

Scanned with OKEN Scanner

स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खाता सं0 83 किता 14 रकबा 30 बीघा 7 बिस्वा भेरूलाल, रामीबाई, प्रताप बाई, धापू बाई, झामकु बाई, लीला बाई पिसरान भागचन्द जमना बाई बेवा भागचन्द हिस्सा 1/2 तथा कन्हीराम, कवंर लाल, कस्तुरी बाई पिसरान सालगराम व मेहताब बाई बेवा सालगराम हिस्सा 1/2 कि सहखातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड थी। अर्थात वादग्रस्त आराजी में सहखोदार लीलाबाई पुत्री भागचन्द का हिस्सा 1/14 वर्ज रिकॉर्ड था। वादीगण द्वारा पेश ग्राम कुटकी के लीलाबाई के फोती नामान्तरण सं 295 दिनांक 06.02.2008 प्रदर्श 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि हल्का पटवारी ने कॉलम सं0 16 में अंकित किया है कि खातेदारनी लीलाबाई का फोत होना पाया गया। फोत हुए लगभग 1 वर्ष हो चुका है इनके वारिसान का सजरा पुष्ठ पर अंकित है। नामान्तरण पंजिका के पुष्ठ पर अंकित मृतक लीला बाई के सजरे के अनुसार लीला बाई के वारिसान में 02 पुत्र रामेश्वर व आत्माराम बताये गये है। उक्त प्रविष्टीयों को भू–अभिलेख निरक्षक द्वारा स्वीकार कर नामान्तरण ग्राम पंचायत सोयला के समक्ष पेश हुआ था। लेकिन ग्राम पंचायत सोयला द्वारा नामान्तरण पंजिका के पुष्ठ भाग पर अंकित अपने निणर्य में लिखा है कि *"आज दिनांक 06.02.2008 को नामान्तरण पेश हुआ जिसमें लीला बाई का फोत हो जाना पाया गया है। अतः लीला बाई का नाम कम करने की स्वीकृति दी जाती है तथा लीला बाई के स्थान पर भाई भेरूलाल का नाम खाता दर्ज हो। नामान्तरण शुल्क 10 रू वसूल हो'*। ग्राम पंचायत कोरम द्वारा यह अंकन किस आधार पर एवं कानुन के अनुसार किया गया, इसका कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है और न ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 द्वारा पेश किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह साबित है कि तात्कालीन खाता संख्या 83 में मृतक खातेदार लीलाबाई पुत्री भागचन्द हिस्सा 1/14 का फोती नामा. सं. 295 तस्दीक करते समय उसके वारीसान में दो पुत्र – रामेश्वर एवं आत्माराम – मौजूद होना किया गया था लेकिन नामान्तरण पंजिका के कालम सं 9 में हल्का पटवारी द्वारा भी इन वारीसानों के स्थान पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय के आदेश के भाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

भैरुलाल का नाम दर्ज किया गया था जिसे ग्राम पंचायत के कोरम द्वारा बिना किसी जॉच पडताल के विधि विरुद्व रुप से स्वीकृत कर दिया गया। यदपि वादीगण द्वारा पत्रावलीद मे कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि वादीगण मृतक लीलाबाई के ही वारीसान है तथापि प्रतिवादीगण द्वारा भी वादीगण का मृतक लीलाबाई का वारीसान नही होने के संबधं में कोई भी आपत्ति पेश नही की गई। अतः नामान्तरण पंजिका पर अंकित सजरे एवं वादीगण द्वारा पेश शपथ पत्र के आधार पर वादीगण को मृतक लीलाबाई का वारीसान होना निर्विवादित है।

6. ग्राम पंचायत सोयला ने मनगढत कथनों के आधार पर बिना साक्ष्य के लीलाबाई का नाम कम करके लीलाबाई के पुत्रो के स्थान पर भाई भैरुलाल को वारीसान माना है। **हिन्दु अधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के** अनुसार किसी हिन्दु महिला के बिना वसीयत किये फौत होने पर उनकी सम्पति/हक/हित, सबसे पहले उसके पुत्रो, पुत्रीयो एवं पति को निहित होगे। इन तीनो वारीसानो नही होने पर मृतक महिला के पति के वारीसानो को अन्तरण होंगे। पति के कोई वारीसान नही होने पर उस मृतक महिला के माता पिता को अन्तरण होंगे। माता पिता नही होने पर मृतक महिला के पिता के वारीसान को अन्तरित होगे। **हस्तगत प्रकरण में मृतक हिन्दु महिला लीलाबाई को वादग्रस्त आराजी अपने पिता भागचन्द से विरासत में प्राप्त हुई और लीलाबाई के दो पुत्र वादीगण है** अतः मृतक लीलाबाई के दो पुत्र वादीगण के होते हुए भी मृतक महिला के पिता के वारीसान यानी भाई भैरुलाल के पक्ष मे वादग्रस्त आराजी का नामान्तरण दर्ज करना प्रारम्भ से ही **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15(2) के प्रावधानो के विरूद्व है**। अतः ग्राम पंचायत सोयला द्वारा दिनांक 06.02.2008 को तस्दीक किया गया नामा.सं. 295 प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्व (**void ab initio**) होने से खारीज योग्य है। सुविधा के लिए यहां धारा प्रावधानों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जो निम्नलिखित है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

<u>15. General rules of succession in the case of female Hindus.</u>—(1) The property of a female Hindu dying intestate shall devolve according to the rules set out in section 16,—

(a) firstly, upon the sons and daughters (including the children of any pre-deceased son or daughter) and the husband;

(b) secondly, upon the heirs of the husband;

(c) thirdly, upon the mother and father;

(d) fourthly, upon the heirs of the father; and

(e) lastly, upon the heirs of the mother.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),—

(a) any property inherited by a female Hindu from her father or mother shall devolve, <u>in the absence of any son or daughter of the deceased</u> (including the children of any pre-deceased son or daughter) not upon the other heirs referred in sub-section (1) in the order specified therein, but upon the heirs of the father; and (b) any property inherited by a female Hindu from her husband or from her father-in-law shall devolve, in the absence of any son or daughter of the deceased (including the children of any pre-deceased son or daughter) not upon the other heirs referred to in sub-section (1) in the order specified therein, but upon the heirs of the husband

7. यह सही है कि वादीगण द्वारा नामा.सं. 295 के तस्दीक होने के करीब 5 साल बाद यह वाद पेश किया गया है। वादीगण को उक्त नामान्तरण की अपील पेश कि जानी चाहिए थी लेकिन अपील के मियाद बाहर होने से वादीगण द्वारा अपील के बजाय यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट पेश किया जाना जाहिर होता है। [illegible] वादीगण दुसरी तहसील झालरापाटन के ग्राम सकनाय बड़ाय [illegible] ग्राम पंचायत एवं राजस्व कार्मिको द्वारा वादीगण को कोई भी सूचना [illegible] बिना चुपचाप तरिके से जालसाजी से नामान्तरण निर्णित किया गया इस[illegible]ए उक्त अवैध नामांतरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

की जानकारी दिनांक 01.01.2013 को कृषि ऋण के लिए खाते का लेण्ड रिकॉर्ड लेने हेतु आवेदन किया तब ज्ञात हुआ कि उनके खाते जमीन नहीं है तो वादीगण ने पुराना राजस्व रिकार्ड निकाला तो ग्राम पंचायत द्वारा की गई जालसाजी का ज्ञान हुआ था और माननीय न्यायालय में अपील पेश करने के बजाय खातेदारी अधिकारो की घोषणा के लिए यह वाद पेश किया गया है। फलतः अपील दायर करने में कोई विलंब नही की है हालांकि इस संबंध में किसी भी पक्षकार द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। उपर मद कम 5 व 6 में किये गये विवेचन व विश्लेषण के आधार पर यह तथ्य साबित है कि ग्राम पंचायत सलोतिया द्वारा निर्णित नामांतरण सं0 295 प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध (**void ab initio**) होने से खारीज योग्य है। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयो एवं राजस्व मण्डल द्वारा विलंब के संबंध में यह सिंद्धात प्रतिपादित किया है कि किसी अपील को मियाद के बिन्दु खारिज करने से पूर्व प्रकरण की मेरिट पर समुचित रूप से विचार किया जाना चाहिये एवं वाद/अपील मेरिट के आधार पर सुदृढ रूप से खडी हो तो प्रकरण का निर्णय मेरिट के आधार पर ही किये जाने के प्रयास करने चाहिये। इस सिद्धांत को यदि हम वर्तमान प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करें तो यह स्पश्ट होता है कि इस प्रकरण में वादीगण द्वारा मेरिट के संबंध में उठाये गये कानूनी एवं तथ्यात्मक बिन्दू सुदृढ साक्ष्य पर आधारित है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी लिखित दस्तावेज के, वादीगण को सुने बिना, मनगढंत कथनो के आधार पर मृतक लीलाबाई की सम्पति में पुत्रो/वादीगण को विरासत के अधिकार से वंचित कर उनका हिस्सा पुत्रो को देना प्रारंभ से ही हिन्दू उतराधिकार विधि विरूद्ध एवं प्रभाव भून्य है। **ऐसे प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध (void ab initio) आदेश के विरूद्ध कभी भी अपील की जा सकती है ऐसे शून्य प्रभावी नामांतरण को चुनौती देने के लिए मियाद कभी बाधक नही होती है। जिन प्रकरणों में विधि विरूद्ध तरीके से किसी व्यक्ति को बिना किसी आधार और बिना सुने उसके कानूनी अधिकारो से संदेहप्रद रूप से वंचित किया गया हो उन प्रकरणों को गुणावगुण पर निर्णित करना ही प्राकृतिक न्याय का सिंद्धांत है। जो नामांतरण प्रक्रिया विधि के विरूद्ध किये**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

गये सिद्ध हो तो उन्हे यथावत रखे जाना कभी भी न्याय की मंशा नही होती है। यह सही कि न्यायिक दृष्टि से 5 वर्षो के विलंब को सामान्य परिस्थिति मे क्षमा करना गलत है। सामान्य परिस्थितियों में किसी पक्षकार की निष्क्रियता और तुच्छ आधार पर अपील पेश करने में कि गयी देरी के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना लिमिटेशन एक्ट को निरर्थक और अप्रांसगिक बना देगा लेकिन विशेष परिस्थितियों में प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध (void ab initio) आदेश के विरूद्ध विलंब को माफ करने से यदि वास्तविक न्याय की प्राप्ति होती हो तो कई वर्षो की देरी को भी माफ किया जाना चाहिए।

8. वादग्रस्त आराजी की हाल जमाबंदी संवत् 2073—76 के अनुसार ग्राम कुटकी की वादग्रस्त आराजी तात्कालीन खाता संख्या 83 हाल खाता संख्या 20 किता 14 कुल रकबा 7.6763 हैक्ट0 यानी 30—07 बीधा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 भैरुलाल पिता भागचन्द गुर्जर का कोई हिस्सा दर्ज नही है। इस संबधं में अभिभाषक वादीगण द्वारा ना तो कोई कथन किया गया है और ना ही बैचान पत्र की प्रतिलिपि पेश की गयी है। जमाबंदी से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से का बैचान कर दिया गया है और क्रेता वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार के रुप में दर्ज हो चुके है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये ऐसे किसी बैचान को सक्षम न्यायालय से खारिज कराया गया है या नही —इस संबधं में कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर पेश नही किया गया है और ना ही बहस के दौरान कोई कथन किया गया है। अतः वादीगण द्वारा उक्त तथ्य को छुपाया जाना जाहिर होता है। यहा यह भी स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा तात्कालीन खाता संख्या 81 व 83 में से केवल खाता संख्या 83 के संबंध में ही यह वाद पेश किया गया है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम कुटकी तहसील रायपुर की खाता संख्या 20 किता 14 रकबा 7.6763 है. के संबंध में वादीगण द्वारा पेश खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 53, 209 आर.टी.एक्ट आशिंक रुप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(18)

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम कुटकी तहसील रायपुर की खाता संख्या 20 किता 14 रकबा 7.6763 है. के संबंध में वादीगण द्वारा पेश वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 53, 209 आर.टी.एक्ट आंशिक रुप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम पंचायत सोयला द्वारा हाल खाता संख्या 20 के संबधं में निर्णित मृतक लीलाबाई के फौती नामान्तरण संख्या 295 को प्रारम्भ से ही विधि विरुद्व एवं प्रभावशून्य होने से खारिज किया जाता है। मृतक लीलाबाई के स्थान पर उनके पुत्र एवं पुत्रीयो को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/8/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 33/2013 **दायर दिनांक: 03.04.2013**

उनवान

1. रामेश्वर पि. चुन्नीलाल जाति गुर्जर नि. बडाय तहसील झालरापाटन
2. आत्माराम पि. चुन्नीलाल जाति गुर्जर नि. बडाय तहसील झालरापाटन

– वादीगण

बनाम

1. भेरूलाल पि. भागचन्द जाति गुर्जर नि. कुटकी तहसील रायपुर
2. रामीबाई पत्नी मांगीलाल गुर्जर नि. बौरबन्द तहसील रायपुर
3. प्रतापबाई पत्नी बरदीचंद गुर्जर नि. नयागांव रीछवा तहसील झालरापाटन
4. धापूबाई आ० भागचन्द गुजर नि. कुटकी तहसील रायपुर
5. झमकूबाई पत्नी लक्ष्मण जाति गुर्जर नि. करणेश्वर महादेव
6. जमनाबाई बेवा भागचंद जाति गुर्जर नि. कुटकी तहसील रायपुर
7. कन्हीराम पि. सालगराम जाति गुर्जर नि. कुटकी तहसील रायपुर
8. कंवरलाल पि. सालगराम जाति गुर्जर नि. कुटकी तहसील रायपुर
9. कस्तुरीबाई पि. सालगराम जाति गुर्जर नि. कुटकी तहसील रायपुर
10. महताबबाई बेवा सालगराम जाति गुर्जर नि. कुटकी तहसील रायपुर
11. ग्राम पंचायत सोयला जर्ये सरपंच सोयला तहसील रायपुर
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 53, 209 रा.टी.एक्ट</u>

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक–

वकील वादीगण – श्री पूरीलाल राठौर
प्रतिवादी सं. 1 से 11 – एकतरफा
प्रतिवादी सं. 12 – पेरोकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X.............................. मिनजानित मुदई रूबरू ....X.............................. ग्राम पंचायत सोयला द्वारा हाल खाता संख्या 20 के संबधं में निर्णित मृतक [illegible] के फौती नामान्तरण संख्या 295 को प्रारम्भ से ही विधि विरुद्ध एवं प्रभावशून्य होने से खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

मृतक लीलाबाई के स्थान पर उनके पुत्र एवं पुत्रीयो को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

28/8/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

निज .....X..... मुबालिक.....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....X..... अदा करूंगा।
मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 28.08.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner